"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी 2007—पौष 29, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/4/2007/वाक/पांच (3).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कालम (3) में वर्णित सीमा तक कालम (4) में दिये गये निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन कर के भुगतान से छूट इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रदान करता है :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का विवरण (2)	कर मुक्ति की सीमा (3)	निर्बंधन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई (4)
(1)	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (दो) तथा (सोलह) में वर्णित लोहा तथा इस्पात.	अंशतः इस प्रकार कि जिससे धारा 8 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाये.	जबकि माल का विक्रय छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयत व्यवसायी को संलग्न प्रारूप-'क' में इस आशय हेतु किया जाये कि :- (एक) क्रय किया गया माल स्वयं की स्टील रोलिंग मिल में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (चार) या (पांच) में वर्णित लोहा तथा इस्पात या प्रवर्ग (छः) में वर्णित हूप्स तथा स्ट्रीप्स या प्रवर्ग (तेरह) में शामिल फिश प्लेट बार्स एवं बेयरिंग प्लेट बार्स के निर्माण में कच्चा माल के रूप में उपयोग के लिये है.

(1)	(2)	(3)	(4)

(दो) निर्मित माल का विक्रय छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया जायेगा.

(तीन) क्रय किया गया माल पंजीयन प्रमाण-पत्र में कच्चा माल के रूप में दर्ज है और माल के क्रय के दिनांक को उक्त प्रमाण-पत्र प्रभावशील था.

प्रारूप- 'क'

घोषणा-पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन)

मैं .... (व्यापारी का नाम) .... (पता), छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... का धारक व्यापारी एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने नीचे दिये गये विवरण अनुसार माल का क्रय .... (व्यापारी का नाम तथा पता) उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... धारक व्यापारी से किया है.

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि :-

(एक) मेरे द्वारा क्रय किया गया माल स्वयं की स्टील रोलिंग मिल में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (चार) या (पांच) में वर्णित लोहा तथा इस्पात या प्रवर्ग (छ:) में वर्णित हूप्स तथा स्ट्रीप्स या प्रवर्ग (तेरह) में शामिल फिश प्लेट बार्स एवं बेयरिंग प्लेट बार्स के निर्माण में कच्चा माल के रूप में उपयोग के लिये है.

(दो) मेरे द्वारा निर्मित माल का विक्रय छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया जायेगा.

(तीन) क्रय किया गया माल मेरे पंजीयन प्रमाण-पत्र में कच्चा माल के रूप में दर्ज है और माल के क्रय के दिनांक को उक्त प्रमाण-पत्र प्रभावशील था.

घोषणा-पत्र पर क्रय किए गए माल का विवरण

क्रय आदेश/बिल/इन्वाईस/कैश मेमो/चालान* का विवरण		क्रय किए गए माल का विवरण	मात्रा	मूल्य (रुपये)
क्रमांक	दिनांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये .... (शब्दों में) रुपये .... मात्र.

स्थान ....

दिनांक ....

....

व्यवसायी के हस्ताक्षर एवं सील

* जो लागू न हो उसे काट दें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2007

क्रमांक एफ-10/4/2007/वाक/पांच (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/4/2007/वाक/पांच (3), दिनांक 19-01-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यप्राल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 19th January 2007

NOTIFICATION

No. F-10/4/2007/CT/V (3).—In exercise of the powers conferred by Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3), subject to the restrictions and condition specified in column (4) from the date of publication of this notification in official gazette :-

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restriction and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Iron and steel as specified in categories (ii) and (xvi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 8 to 2%.	When the goods are sold to a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 against a declaration in the appended Form- 'A' to the effect that :- (i) The goods being purchased are for use as raw material in own steel rolling mill in the manufacture of the iron and steel specified in category (iv) or (v) or hoops and strips specified in category (vi) or fish plate bars and bearing plate bars specified in category (xiii) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956). (ii) the manufactured goods shall be sold in the Chhattisgarh State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of territory of India. (iii) the purchased goods are specified as raw material in the registration certificate and the registration certificate was in force on the date of purchase of the goods.

FORM- 'A'

DECLARATION

(Under C. T. D. Notification No. .... Dated ....)

I, ... (Name of the dealer) .... (address), a dealer holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005, hereby declare that I have purchased the goods, particulars of which have been given below from .... (Name and address of the dealer) a dealer holding registration certificate No. .... under the said Adhiniyam.

2. I, further declare that :-

(i) the goods being purchased are for use in my steel rolling mill as raw material in the manufacture of the iron and steel specified in category (iv) or (v) or hoops and strips specified in category (vi) or fish plate bars and bearing plate bars specified in category (xiii) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).

(ii) the goods manufactured by me shall be sold in the Chhattisgarh State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of territory of India.

(iii) the purchased goods are specified as raw material in my registration certificate and the registration certificate was in force on the date of puchase of the goods.

PARTICULARS OF GOODS PURCHASED

Particulars of purchase order/bill/invoice/cash-memo/Challan*		Description of goods purchased	Quantity	Value (Rs.)
No.	Date			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Total value (in figures) Rs. .... (in words) Rs. .... only.

Place ....
Date ....

....
Signature & Seal of the dealer

*strike out whichever is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.